राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 8363/2024

विकास पुत्र सैमजी उर्फ श्यामजी, उम्र करीब 20 साल, निवासी प्रतापनगर सामरिया, पुलिस थाना बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)। (जिला जेल, बांसवाड़ा में बंद) -----याचिकाकर्ता

बनाम

1. पीपी के माध्यम से राजस्थान राज्य

2. दुउला भगोरा पुत्र रामजी भगोरा, निवासी सामरिया सदर बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)। ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री पी.आर.मेहता

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री श्रवण सिंह, पी.पी.

श्री नरेन्द्र सिंह चांदावत, पी.पी

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट योग्य

18/09/2024

1. याचिकाकर्ता को पुलिस थाना सदर, जिला बांसवाड़ा में दर्ज एफआईआर संख्या 43/2024 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 (बीएनएसएस

की धारा 483) के तहत अपनी स्वतंत्रता की बहाली के लिए यह आवेदन दायर किया है।

2. मामले के तथ्यों के अनुसार मृतक हीरालाल अपनी बेटी मांगी के साथ "गड़रियापाड़ा तोरणिया" गांव में एक शादी में शामिल हुआ था। मांगी ही घटना का मूल कारण है। शादी के दौरान एक नृत्य कार्यक्रम चल रहा था। मध्य रात्रि में करीब 2:30-3:00 बजे नृत्य करते समय याचिकाकर्ता विकास ने मांगी के कंधे पर हाथ रखा, जिसे उसके पिता हीरालाल ने देख लिया। हीरालाल ने मांगी से पूछा कि वह उसकी प्रतिष्ठा क्यों खराब कर रही है, फिर उसे ले गया। इसी बीच विकास सेफ्टी शूज पहने हुए हीरालाल की ओर दौड़ता हुआ आया। पहुंचते ही विकास ने हीरालाल को धक्का दिया और पेट में लात मारी। कुछ ही देर बाद हीरालाल ने पेशाब न होने की शिकायत की। उसे बांसवाड़ा अस्पताल ले जाया गया और बाद में उदयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन दो दिन बाद उसकी मौत हो गई। जब विकास हीरालाल पर हमला कर रहा था, तो कई लोगों ने बीच-बचाव कर उसे बचाया।

3. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पी.आर. मेहता ने जोरदार तरीके से कहा कि याचिकाकर्ता निर्दोष व्यक्ति है और उसके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है; पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह झूठे और निराधार हैं; याचिकाकर्ता के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है; याचिकाकर्ता और कथित अपराध के बीच सीधे संबंध को दर्शाने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष का मामला ठोस कानूनी सबूतों के बजाय अनुमानों और अटकलों पर आधारित है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर की गवाही पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि हीरालाल की मौत याचिकाकर्ता द्वारा हाथ-पैरों से किए गए वार और लात-घूंसे से नहीं, बल्कि

सर्जिकल घावों के कारण हुई थी। उनके अनुसार पोस्टमार्टम में मृतक के शरीर पर हमले के कोई निशान नहीं मिले हैं; मौत का कारण पेरिटोनियम छिद्रण से होने वाला "सेप्टिसमिक शॉक" था; उन्होंने तर्क दिया कि यह घटना अचानक उकसावे के कारण हुई और याचिकाकर्ता का हीरालाल की मौत का इरादा नहीं हो सकता था। उन्होंने प्रार्थना की कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान लोक अभियोजक ने आवेदक के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि रिकॉर्ड पर बहुत सारे सबूत हैं जो प्रथम दृष्टया आवेदक के अपराध की ओर इशारा करते हैं; उसके द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध की गंभीरता को देखते हुए, वह किसी भी तरह की नरमी का पात्र नहीं है, बल्कि उसके साथ सख्ती से पेश आने की जरूरत है। इस प्रकार, उन्होंने प्रार्थना की कि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, यह समीचीन है कि आरोपी को हिरासत में रखा जाए।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गहन विचार किया है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. उपरोक्त तर्कों के मद्देनजर, यह न्यायालय इस राय पर है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क, याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए विचार के इस चरण में स्वीकार्य नहीं हैं। सबसे पहले, हीरालाल द्वारा अपनी बेटी मांगी को सार्वजनिक रूप से छूने के बाद डांस स्टेज से दूर ले जाना, याचिकाकर्ता के लिए अचानक उकसावे के रूप में नहीं माना जा सकता था। बल्कि, यह हीरालाल के लिए अचानक उकसावे का कारण बन सकता था। दूसरा, यह एक स्थापित तथ्य है कि घटना के समय याचिकाकर्ता ने सेफ्टी शूज पहने हुए थे और मृतक के पेट और गुप्तांगों पर लात मारी, जिससे हीरालाल को तुरंत पेशाब रुक गया। यह उल्लेख करना उचित है कि सेफ्टी

शूज आमतौर पर कठोर, सुरक्षात्मक सामग्री जैसे धातु के पंजे या मजबूत तलवों से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि पहनने वाले को भारी प्रभाव या खतरनाक वस्तुओं से बचाया जा सके। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने अपने सेफ्टी शूज को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इसके अतिरिक्त, पीएमआर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतक की दो पसलियाँ टूटी हुई थीं। ट्रायल कोर्ट की एक रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर है, जो दर्शाती है कि डॉक्टर के अलावा, दो अन्य गवाहों, मांगी और माकू निनामा के बयान भी ट्रायल के दौरान दर्ज किए गए हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता उन बयानों को प्रस्तुत करने में विफल रहा है और उसने केवल डॉक्टर का बयान प्रस्तुत किया है।

8. इसके अतिरिक्त, कई चश्मदीदों के बयान अभी भी लंबित हैं। जिस तरह से याचिकाकर्ता ने सेफ्टी शूज पहनकर हीरालाल के पेट और गुप्तांगों पर लात मारी, उससे प्रथम दृष्टया हीरालाल की हत्या करने का उसका इरादा जाहिर होता है। यह मानना उचित नहीं है कि किसी व्यक्ति की मौत लात-घूंसे से नहीं हो सकती, खास तौर पर उस स्थिति में जब आरोपी सेफ्टी शूज पहनकर किसी व्यक्ति के पेट और गुप्तांगों पर लात मारता है।

9. हत्या करने के लिए आरोपी के लिए हमेशा घातक हथियार का इस्तेमाल करना या शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से जैसे सिर पर हमला करना जरूरी नहीं होता। हालांकि, सेफ्टी शूज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से गंभीर या जानलेवा चोट लगने की संभावना काफी बढ़ जाती है। लात से रक्त वाहिकाएं फट सकती हैं, जिससे आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, जो तुरंत इलाज न किए जाने पर जानलेवा हो सकता है।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।